भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 3130
गुरुवार, 6 अगस्त, 2026/15 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

परंदूर हवाई अड्डे का विकास

3130. थिरु दयानिधि मारनः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या केंद्र सरकार को मई, 2026 के बाद परंदूर में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे को बनाए रखने, उसमें बदलाव करने या उसे वापस लेने के संबंध में तमिलनाडु राज्य सरकार से कोई पत्र/सूचना प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या केंद्र सरकार ने उक्त राज्य सरकार से उसकी वर्तमान नीतिगत स्थिति के संबंध में कोई स्पष्टीकरण मांगा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या परियोजना को लेकर लंबे समय से बनी अनिश्चितता के कारण पश्चिमी चेन्नई में विमानन योजना, अवसंरचना विकास, निवेश और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या केंद्र सरकार का कोई ऐसी समय-सीमा निर्धारित करने का विचार है जिसके भीतर तमिलनाडु राज्य सरकार के लिए परियोजना पर अपने अंतिम निर्णय की सूचना देना आवश्यक हो और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) निवासियों, निवेशकों और अवसंरचना नियोजन को प्रभावित करने वाली लंबी नीतिगत अनिश्चितता के बिना चेन्नई की भविष्य की हवाईअड्डा क्षमता आवश्यकताओं को पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) : जी नहीं।

(ख) से (ङ) : सरकार ने ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा (जीएफए) नीति, 2008 के तहत दिनांक 07.04.2025 को तमिलनाडु सरकार के उद्यम, तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (टीआईडीसीओ), को परंदूर में एक अंतरराष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया है।

जीएफए नीति के अनुसार, हवाईअड्डा परियोजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार (यदि राज्य सरकार परियोजना प्रस्तावक है) सहित संबंधित हवाईअड्डा विकासकर्ता की होती है। हवाईअड्डे के निर्माण की समय-सीमा भूमि अधिग्रहण, अनिवार्य मंजूरियों की उपलब्धता, वित्तीय समापन आदि जैसे कई कारकों पर निर्भर करती है।

******